देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–: प्रारंभिक अधिसूचना :–

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या ...1038.... /भू अ० **दिनांक :** ...11/9/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–मकरकेन्दा, थाना–पालोजोरी, थाना सं०–318, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **बाराटांड़ मोड़–रांगामटिया–पालोजोरी (एस०एच०–15 पर) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–मकरकेन्दा, थाना–पालोजोरी थाना सं०–318, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.34** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	3	रैयती	बाड़ी–1	0.03	खेपा हाँसदा (ज०रै)	आस्ता नं०–328	अर्जित रकवा का अंश	अर्जित रकवा अंश	लेटो नं०–317
2	4	4	रैयती	बाड़ी–1	0.03	मतला हाँसदा पे०–कान्हु हाँसदा (ज०रै)				
3	7	29	रैयती	धानी सेम	0.03	दुखु मुरमु वल्द बुढाई मुरमू (ज०रै०)				
4	8	2	रैयती	बाड़ी–2	0.03	कंदन हेम्ब्रम पे०–स्व० मुलिन्दो हेम्ब्रम वो सोना लाल हेम्ब्रम पे०–डिबा हेम्ब्रम वो चुनु हेम्ब्रम वो चुनु हेम्ब्रम पे०–राधोनी हाँसदा वो बना हेम्ब्रम पे० सिबु हेम्ब्रम अंश समान सा० देह।				
5	9	26	रैयती	धानी सेम	0.03	मंगल मिया वल्द नाको मियां (ज०रै०)				
6	9/क	327	रैयती	धानी सेम	0.02	गुफरन बीबी माता स्व० राधो बीबी सा० देह वो सुबरन बीबी वो आनो बीबी (ज०रै०) अंश समान सा० देह।				
7	10	58	रैयती	धानी सेम	0.03	महमूद वो जारदीश वो इसरायील वो मन्टु पे०–लियाकत वो सहराद पे०– बकरली मियां वो हाकिम वो सकिम पे०–समसुद्दीन वो हातिम वो कासीम पे०–हनीफ वो साहबुद्दीन पे०–मुस्तकीम अंश समान सा० देह।				
8	11	18	रैयती	धानी सेम	0.04	आवदीन मियां (ज०रै०)				
9	11	19	रैयती	बाड़ी–1	0.03	महमुद वो जारदीश वो इसरायील वो मनु पे०–स्व० लियाकत मियां वो सहराद पे०–बकरली मियां वो हाकिम वो साकिम मियां पे०–समसुद्दीन वो हातिम वो कासिम पे०–हनीफ मियां वो सहबुद्दीन पे०–मुस्तकीम सा०– देह				

10	11	56	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
11	12	20	रैयती	बाड़ी–2	0.05	शूकूल मियां वल्द आल्हो मियां (ज०रै)				
				कुल रकवा–	**0.34**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — अपर समाहर्त्ता, देवघर — समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 1038 / भू अ०, देवघर, दिनांक 11/9/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — अपर समाहर्त्ता, देवघर — समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।